न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 03/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2024/31) व इजलासः– डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. नहनी उर्फ अनीता
2. मनीषा उर्फ ममता
3. गौरव उर्फ पवन

} पुत्रियान व पुत्र मोहन सिंह जाति ठाकुर नि0 गोबर्धन गेट कस्बा डीग तहसील व जिला डीग(राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 08.04.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 112/0.56, 113/0.32, 114/0.45 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है जोकि उन्हें विरासतन प्राप्त हुई है। विरासतन दाखिला खोलते समय सहवन गलती से प्रार्थीगण का नाम आ.ख.नम्बर 113/0.32 पर गौरव,नहनी,मनीषा दर्ज कर दिया और खसरा नम्बर 112/0.56,114/0.45 पर गौरव उर्फ पवन ,नहनी,मनीषा उर्फ ममता दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड,स्कूल मार्कशीट में पवन,ममता,अनीता दर्ज है। प्रार्थीगण का असली नाम पवन कुमार ,ममता,अनीता के साथ गॉव बैंक आदि में गौरव,नहनी,मनीषा आदि से जाना जाता है। इसलिए प्रार्थीगण नहनी अपनी हाल आराजी खसरा नम्बरान 112/0.56,113/0.32, 114/0.45 पर नहनी की जगह नहनी उर्फ अनीता व खसरा नम्बर 113/0.32 पर मनीषा व गौरव दर्ज है उसकी जगह मनीषा उर्फ ममता व गौरव उर्फ पवन कुमार दर्ज होना चाहिए। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 113/0.32 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर गौरव के स्थान पर गौरव उर्फ पवन कुमार व मनीषा के स्थान पर मनीषा उर्फ ममता एवं इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बरान 112/0.56, 113/0.32, 114/0.45 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर नहनी के स्थान पर नहनी उर्फ अनीता दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2024/413 दिनांक 21.03.2024 में अंकित किया गया है कि ग्राम अचलपुर के खाता संख्या 17, 329, 330 में नाबालिग गौरव पुत्र मोहनसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता खुद मंजू,नाबालिग नहनी पुत्री मोहनसिंह,नाबालिग मनीषा पुत्री मोहनसिंह जाति ठाकुर साकिन देह खातेदार हि0 मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा गौरव का नाम पवन कुमार,नहनी का नाम अनीता एवं मनीषा का नाम ममता करवाना चाहते है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 113/0.32 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर गौरव के स्थान पर गौरव उर्फ पवन कुमार व मनीषा के स्थान पर मनीषा उर्फ ममता एवं इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बरान 112/0.56, 113/0.32, 114/0.45 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर नहनी के स्थान पर नहनी उर्फ अनीता दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार डीग की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आधार कार्ड, स्कूल मार्कशीट,बैंक पास बुक में वर्णित नाम तथा आराजी खसरा नम्बर 113/0.32 वाके

उपखण्ड अधिकारी
डीग

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर गौरव के स्थान पर गौरव उर्फ पवन कुमार व मनीषा के स्थान पर मनीषा उर्फ ममता एवं इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बरान 112/0.56, 113/0.32, 114/0.45 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर नहनी के स्थान पर नहनी उर्फ अनीता दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 113/0.32 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर गौरव के स्थान पर गौरव उर्फ पवन कुमार तथा मनीषा के स्थान पर मनीषा उर्फ ममता एवं इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बरान 112/0.56, 113/0.32, 114/0.45 वाके ग्राम अचलपुर तहसील डीग पर नहनी के स्थान पर नहनी उर्फ अनीता दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner